रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28082024-256694
CG-DL-W-28082024-256694

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 18—अगस्त 24, 2024, शनिवार/श्रावण 27— भाद्र 2, 1946
No. 30] NEW DELHI, AUGUST 18— AUGUST 24, 2024, SATURDAY/SHRAVANA 27—BHADRA 2, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विदेश मंत्रालय

(विधि एवं संधि प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 119.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विदेश मंत्रालय, विधि एवं संधि प्रभाग, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 का अधिक्रमण, ऐसे अधिक्रमण से पहले निष्पादित अथवा निष्पादन से छूट प्राप्त बातों के सिवाय, करते हुए, राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय के विधि एवं संधि प्रभाग में अपर सचिव (विधि एवं संधि), संयुक्त सचिव (विधि एवं संधि), निदेशक (विधि एवं संधि), विधि अधिकारी (ग्रेड-I) तथा विधि अधिकारी (ग्रेड-II) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, विधि एवं संधि प्रभाग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके साथ सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स के स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य योग्यताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

4. **अयोग्यता-**कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे:

बशर्ते केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह आदेश द्वारा और उससे संबंधित कारणों को लिखित में दर्ज करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

6. **अपवाद-**इन नियमों में निहित कोई बात, इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अपर सचिव (विधि एवं संधि)।	1. (2024) #कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (रु. 182200-224100)।	चयन	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नति द्वारा, जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14(रु. 144200-218200) में संयुक्त सचिव (विधि एवं संधि), और इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो **टिप्पण-**यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी— (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों,— **अनिवार्य योग्यताएं:—** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंतरराष्ट्रीय विधि अथवा अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ विधि में मास्टर डिग्री या अंतरराष्ट्रीय विधि में मास्टर ऑफ फिलॉसफी अथवा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। **अनुभव :** न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित क्षेत्र में बीस वर्ष का अनुभव - (i) वकालतरत अधिवक्ता; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि के क्षेत्र में शोध अध्यापन, संचालन या मार्गदर्शन, जिसमें कम से कम दस वर्ष का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय विधि या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में होना चाहिए। **वांछनीय योग्यता:** अंतरराष्ट्रीय विधि, विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, अंतरराष्ट्रीय नदियों से संबंधित कानून और समुद्री कानून मामलों पर कार्य करने में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1.-**प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार	**समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-** 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य -अध्यक्ष; 2. विदेश सचिव -सदस्य; और 3. विधि एवं संधि प्रभाग के प्रभारी सचिव – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. संयुक्त सचिव (विधिक एवं संधियां)	2(2024) # कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' ', राजपत्रित , अ-अनुसचिवीय।	स्तर- 14 (रु. 144200-218200)।	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (रु. 123100-215900) में स्तर-13 में निदेशक (विधिक एवं संधि) जिन्होंने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा दी हो तथा विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट संयुक्त सचिव (कानूनी एवं संधि) के पद के लिए कर्तव्यों एवं निर्वहन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून की किसी भी शाखा में एक सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण**: जहाँ ऐसे कनिष्ठ पदाधिकारी, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनके वरिष्ठ पदाधिकारी के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा का आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी,— (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों:-	**समहू 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-** 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष; 2. विदेश सचिव - सदस्य; 3. विधि एवं संधि प्रभाग के प्रभारी सचिव – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

आवश्यक योग्यता : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंतरराष्ट्रीय कानून या अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ विधि में स्नातकोत्तर डिग्री या अंतरराष्ट्रीय कानून में मास्टर ऑफ फिलॉसफी या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्राप्त की हो । **अनुभव :** न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का अनुभव - (i) अधिवक्ता; अथवा (ii) विधि का प्रोफेसर या विधि में अनुसंधान का संचालन या मार्गदर्शन के पंद्रह वर्षों में से कम से कम दस वर्ष अंतरराष्ट्रीय कानून/अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए । **वांछनीय योग्यता:** अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून और अंतरराष्ट्रीय नदियों और समुद्री कानून से संबंधित कानूनों से निपटने में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1.-**फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी श्रेणी में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 3. -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.निदेशक (विधिक एवं संधियाँ)।	5(2024) # कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अ-अनुसचिवीय	स्तर -13 (रु. 118500-214100)	चयन.	पचास वर्ष से अधिक आयु नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार पांच वर्ष की आयु तक) **टिप्पणी:**-आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य योग्यताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय विधि या अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ विधि में स्नातकोत्तर डिग्री। **टिप्पणी 1**.—अंतरराष्ट्रीय विधि में मास्टर ऑफ फिलॉसफी या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी स्तर पर, किंतु स्नातकोत्तर स्तर पर नहीं, विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। **टिप्पणी 2**.—अंतरराष्ट्रीय विधि में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रमुख क्षेत्र जैसे समुद्री विधि, मानवाधिकार विधि, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विधि, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक विधि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि शामिल होंगे। **अनुभव:** न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद भारत में किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंद्रह वर्ष का अनुभव या सरकार के विधि विभाग में कानूनी मामलों से निपटने या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि के क्षेत्र में शिक्षण या अनुसंधान का संचालन या मार्गदर्शन करने का अनुभव, जिसमें से कम से कम आठ वर्ष अंतरराष्ट्रीय विधि या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में होने चाहिए। **वांछनीय योग्यता:** मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय विधि में डॉक्टरेट। **टिप्पण 1**.-अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके, संघ लोक सेवा आयोग के निर्णयनुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी। **टिप्पणी 2.-**अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से छूट दी जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं शैक्षिक योग्यता: हाँ.	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।	(i) अस्सी प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है); तथा (ii) बीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)/ पुनर्नियुक्ति (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (78800-175200 रुपये) में लेवल-12 में विधिक अधिकारी (ग्रेड I) जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी-**जहाँ कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	**ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य;	पुन:नियुक्ति और सीधी भर्ती के आधार पर पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक अर्हक या पात्रता सेवा या दो वर्ष से कम न हों, जो भी कम हो, और अपने उन कनिष्ठों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के अधिकारी,— (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (78800-175200 रुपये) या समकक्ष में लेवल-12 पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट योग्यताएं रखते हों। **टिप्पणी 1.-** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3.-** आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: नौसेना और वायु सेना में ब्रिगेडियर तथा समकक्ष रैंक के सशस्त्र बल कार्मिक, पे मैट्रिक्स में लेवल-13ए में, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित अपेक्षित अनुभव एवं योग्यताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति की अवधि दी जाएगी, जिस तिथि को वे सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होने वाले हैं, उसके बाद उन्हें पुनःनियोजन पर रखा जा सकता है।	तथा 3. संयुक्त सचिव (विधि एवं संधि) - सदस्य। **विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-** 1. अपर सचिव (प्रशासन) – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – सदस्य; तथा 3. संयुक्त सचिव (विधि एवं संधि) - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. विधिक अधिकारी (ग्रेड I)	7(2024) #कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	पे मैट्रिक्स में लेवल-12 (रु. 78800-175200)	चयन	पचास वर्ष से अधिक आयु नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है। टिप्पणी- आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित अनुसार होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय कानून या अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ विधि में स्नातकोत्तर डिग्री। **टिप्पणी 1.** अंतरराष्ट्रीय विधि में मास्टर ऑफ फिलॉसफी अथवा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी स्तर पर, किंतु स्नातकोत्तर स्तर पर नहीं, विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। **टिप्पणी 2. -** अंतरराष्ट्रीय विधि में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय विधि से संबंधित प्रमुख क्षेत्र जैसे समुद्री क्षेत्र संबंधी विधि, मानवाधिकार विधि, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विधि, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक विधि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि शामिल होंगे। **अनुभव:** न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद, भारत में किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में या सरकार की विधिक सेवाओं में या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि के क्षेत्र में शिक्षण, संचालन या अनुसंधान का मार्गदर्शन करने का दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम आठ वर्ष का अंतरराष्ट्रीय विधि या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अनुभव। **वांछनीय योग्यता:** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अंग्रेज़ी के अतिरिक्त एक अथवा दो विदेशी भाषाओं में कम से कम छह माह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। **टिप्पणी 1.**-अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं को शिथिल किया जा सकेगा। **टिप्पणी 2** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, अनुभव	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; अन्यथा अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिक) द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।

संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो पाने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (67700-150800 रुपये) में लेवल 11 में विधिक अधिकारी (ग्रेड II) जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्होंने विदेश मंत्रालय द्वारा यथानिर्दिष्ट अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी** - जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है ,वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न किया हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):** केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-150800 रुपये) या समकक्ष में लेवल-11 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों। **टिप्पणी 1.-** फीडर प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2.** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य; और 3. संयुक्त सचिव (कानूनी एवं संधियां) -सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-** 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (कानूनी और संधि) – सदस्य; और 3. निदेशक (कानूनी एवं संधि) – सदस्य।	पुनर्नियोजन और सीधी भर्ती के आधार पर पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

टिप्पणी 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन। नौसेना और वायु सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष रैंक के सशस्त्र बल कार्मिक, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1 क में, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव है, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति की शर्तें दी जाएंगी, जिस तिथि को वे सशस्त्र बलों से मुक्त होने वाले हैं, उसके बाद उन्हें पुनः रोजगार पर रखा जा सकता है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. विधिक अधिकारी (ग्रेड II).	8(2024) #कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'क', राजपत्रित, अ-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (रु. 67700-150800)।	लागू नहीं।	अधिकतम आयु चालीस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की आयु तक कम की जा सकती है)। **टिप्पणी:** आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय विधि अथवा अंतरराष्ट्रीय संबंध अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ विधि में स्नातकोत्तर डिग्री। **टिप्पणी 1.**अंतरराष्ट्रीय विधि में मास्टर ऑफ फिलॉसफी अथवा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी स्तर पर, किंतु स्नातकोत्तर स्तर पर नहीं, विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। **टिप्पणी 2.**अंतरराष्ट्रीय विधि में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय विधि से संबंधित प्रमुख क्षेत्र जैसे समुद्री क्षेत्र संबंधी विधि, मानवाधिकार विधि, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विधि, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक विधि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि शामिल होंगे।	लागू नहीं।	सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पणी:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश पर रहने अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, जो (क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और (ख) जो

अनुभव: न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात भारत के किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अथवा सरकार की विधिक सेवाओं में अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अंतरराष्ट्रीय विधि अथवा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अध्यापन अथवा अनुसंधान संचालन अथवा मार्गदर्शन का पाँच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय योग्यता:** अंग्रेज़ी के अतिरिक्त एक अथवा दो विदेशी भाषाओं में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (कम से कम छह माह की अवधि)। **टिप्पणी 1** अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं को शिथिल किया जा सकेगा। **टिप्पणी2** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो पाने की संभावना नहीं है।			कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) में शामिल होंगे:-** 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (विधि एवं संधि) – सदस्य; तथा 3. उप सचिव अथवा निदेशक (विधि एवं संधि) – सदस्य।	सीधी भर्ती के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[फा. सं. क्यू/सीएडी/798/02/2015]

बी वनलालवावना, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Legal and Treaties Division)

New Delhi, the 6th August, 2024

G.S.R. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs, Legal and Treaties Division, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the

following rules regulating the method of recruitment to the posts of Additional Secretary (Legal and Treaties), Joint Secretary (Legal and Treaties), Director (Legal and Treaties), Legal Officer (Grade-I) and Legal Officer (Grade-II) in the Legal and Treaties Division in the Ministry of External Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Legal and Treaties Division (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.–**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Additional Secretary (Legal and Treaties).	1(2024) #Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion : Joint Secretary (Legal and Treaties) in level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200) with three years' regular service in the grade. Note.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration.— (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience,— **Essential Qualifications :—** (i) Masters degree in law with specialisation in the field of international law or international relations or international organisation or Master of Philosophy or Doctor of Philosophy in international law from recognised university or institute. **Experience :** Twenty years experience in following field, after obtaining minimum educational qualifications— (i) practicing advocate; or (ii) teaching or conducting or guiding research in the field of law from recognized university or institute with at least ten years shall be in the field of international law or international relations. **Desirable :** Five years experience in dealing with international law, privileges and immunities, international trade laws, laws relating to international rivers and law of the sea. **Note 1.—**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Foreign Secretary -Member; and 3. Secretary in-charge of Legal and Treaties Division – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

Note 2.—The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3.—**The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-eight years as on the last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Joint Secretary (Legal and Treaties).	2(2024) #Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Director (Legal and Treaties) in level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) with three years' regular service in the grade and having successfully completed one week training in any branch of international law relevant to duties and responsibilities for the post of Joint Secretary (Legal and Treaties) as may be specified by the Ministry of External Affairs. **Note**.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration,— (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience as follows:- **Essential qualification :** Masters degree in law with specialisation in the field of international law or international relations or international organisations or Master of Philosophy or Doctor of Philosophy in international law from recognised university or institute.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman; 2. Foreign Secretary —Member; 3. Secretary in-charge of Legal and Treaties Division – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

Experience : Fifteen years experience in following field, after obtaining minimum educational qualifications— (i) Advocate; Or (ii)Professor of law or conducting or guiding research in law, out of fifteen years; at least ten years shall be in the field of international law / international relations. **Desirable:** Five years experience in dealing with international law, privileges and immunities, international trade laws and laws relating to international rivers and law of the sea. **Note 1**.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**.—The period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3.**—The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-eight years as on the last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Director (Legal and Treaties).	5(2024) #Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs. 118500-214100).	Selection.	Not exceeding fifty years of age (relaxable for Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note.—**The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : Masters degree in law with specialisation in the field of international law or international relations or international organisations from a recognised university. **Note 1**.—Candidates having specialisation in international law at Master of Philosophy or Doctor of Philosophy level but not at Master's level shall also be eligible. **Note 2**.—International law shall, inter alia, include major areas of international law such as law of the sea, human rights law, international environmental law, international criminal law and international	Not applicable. Educational Qualification: Yes.	One year for direct recruits.	(i) Eighty per cent. by promotion, failing which by deputation (including short-term contract); and (ii) twenty per cent. by deputation (including short-term contract)/ Re-employment (For Armed Forces Personnel) failing which by direct recruitment.

trade law. **Experience:** Fifteen years experience as practicing Advocate in a Court of law in India or dealing with legal matters on law department of the Government or teaching or conducting or guiding research in the field of law from recognized university or institute of which at least eight years shall be in the field of international law or international relations, after acquiring minimum educational qualification. **Desirable:** Doctorate in international law from recognised institute or university. **Note 1**.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Legal Officer (Grade I) in level-12 in the Pay Matrix (Rs. 78800-175200) with five years regular service in the grade, and have undergone and successfully completed such mandatory training programmes as may be specified by the Ministry of External Affairs. **Note**.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertaking or recognised university or institute,— (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-175200) or equivalent in the parent cadre or department; and	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Joint Secretary (Administration) -Member; and 3. Joint Secretary (Legal and Treaties) -Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Secretary (Administration) – Chairman; 2. Joint Secretary (Administration) – Member; and 3. Joint Secretary (Legal and Treaties) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while filling up the post on re-employment and direct recruitment basis.

(b) possessing the qualifications specified for direct recruits under column (7). **Note 1**.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**.—The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**.—The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications. For Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel to the rank of Brigadier and equivalent in Navy and Air Force, in level-13A in the pay matrix, who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for deputationist shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces thereafter they may be continued on re-employment.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Legal Officer (Grade I).	7(2024) #Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-175200).	Selection.	Not exceeding fifty Years of age. (Relaxable for the government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. **Note.—**The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : Master degree in law with specialisation in the field of international law or international relations or international organisations from a recognised university. **Note 1**.—Candidates having specialisation in international law at Master of Philosophy or Doctor of Philosophy level but not at Master's level shall also be eligible. **Note 2**.—International Law would, inter alia, include major areas of international law such as law of the sea, human rights law, international environmental law, international criminal law and international trade law.	Not applicable.	One year for direct recruits.	(i) seventy-five per cent. by promotion; failing which deputation including short term contract; and (ii) twenty-five per cent. by deputation (Including short term contract) or re-employment (Armed Force Personnel) failing which by direct recruitment.

Experience: Ten years experience as an Advocate in a Court of law in India or in the legal services of the Government or teaching or conducting or guiding research in the field of law from recognised university or institute of which at least eight years shall be in the field of international law or international relations, after acquiring minimum educational qualification. **Desirable:** Certificate course of at least six months duration in one or two foreign languages other than English from recognised institute. **Note 1**.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Legal Officer (Grade II) in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-150800) with five years regular service in the grade and have undergone and successfully completed such mandatory training programmes as may be specified by the Ministry of External Affairs. **Note**.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promo-tion) consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Administration) -Member; and 3. Joint Secretary (Legal and Treaties) -Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confir- mation) consisting of:-** 1. Joint Secretary (Administration) – Chairman; 2. Joint Secretary (Legal and Treaties) – Member; and 3. Director (Legal and Treaties) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while filling up the post on re-employment and direct recruitment basis.

autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or recognised research institute.— (a)(i)holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in level -11 in the pay matrix (Rs. 67700-150800) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience specified for direct recruits under column (7). **Note 1**.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**.—The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the central government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**.—The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment. The Armed Forces Personnel to the rank of Lieutenant Colonel or equivalent in Navy and Air Force, in level-12A in the pay matrix , due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the requisite educational qualification and experience prescribed for deputationist shall also be considered . Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Legal Officer (Grade II).	8(2024) #Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-150800).	Not applicable.	Not exceeding forty years of age (relaxable for government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by Central government. **Note.—**The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Master degree in Law with specialisation in the field of international law or international relations or international organisation from a recognised university. **Note 1**.—Candidates having specialisation in international law at Master of Philosophy or Doctor of Philosophy level but not at Master's level shall also be eligible. **Note 2**.—International Law would, inter-alia, include, major areas of International Law such as Law of the Sea, Human Rights Law, International Environmental Law, International Criminal Law and International Trade Law. **Experience:** Five years experience as an practicing Advocate in a Court of law in India or in the legal services of the Government or teaching or conducting or guiding research in the field of international law or international relations from recognised university or institute after acquiring minimum educational qualification. **Desirable:** Certificate course (at least six months duration) in one or two foreign languages other than English. **Note 1**.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	One year for direct recruits.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.—(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7)

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Joint Secretary (Administration) – Chairman; 2. Joint Secretary (Legal and Treaties) – Member; and 3. Deputy Secretary or Director (Legal and Treaties) – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary in case of direct recruitment.

[F. No. Q/CAD/798/02/2015]

B VANLALVAWNA, Jt. Secy. (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.08.24 14:05:56 +05'30'